

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, वीकानेर

ठामोक. शिविरा-मा /पीएसपी-री /३।-२ /६०५६७ /के. मा. सि. दो./२०२२-२३/ २०

दिनांक: 04/04/2022

विद्यालय का नाम :- A.C. ACADEMY (P30582)

विद्यालय का वर्तमान पता :- II KAMLA NEHRU NAGAR

'संस्था का नाम :- ADARSH VIKASHATMAK SIKHSHAN SANSTHAN

आवेदन संख्या : ४०९२५

एनओसी कोड:- RUJDP31954

प्रसाण-पत्र

सत्र 2022-23 हेतु CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने की लिए राज्य सरकार के प्रवाकः  
प.14(8)शिक्षा-1/2009/पार्ट-8 दिनांक : 30.03.2022 की पातना में गैर सारकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्बुद्ध सत्र, माध्यम, कक्षा स्तर, संकाय, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु नियांकित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है

- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2022-23 के लिए ही मान्य होगा
  - विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम-2011 की पालना की जावेगी।
  - विद्यालय/ संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
  - राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बालबहिनी के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अक्षरता: पालना की जावेगी।
  - विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार खुदिनियम 2009 के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की अक्षरता: पालना की जावेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  - विद्यालय द्वारा (डे स्कॉलर/बोर्डिंग) कक्ष 1 से ही कक्षों का संचालन मान्यता प्रदत्त स्तर तक किया जायेगा।
  - विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को सूचित करते हुए राजस्थान बोर्ड से संबद्धता समाप्त कर ती जायेगी।
  - विद्यालय में अग्रिमत यंत्र स्थापित है एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ उपलब्ध है।
  - विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाइल टावर स्थापित नहीं करेगी।
  - विद्यालय द्वारा राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना करेगी।
  - राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा। तथा समय-समय पर विभाग - एवं शाहन द्वारा घोषित रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
  - विद्यालय में टिक्कांग जनों के लिए ऐप्प एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करायापी जायेगी।
  - भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सामय-सामय पर जारी दिशा-निर्देशों वाली पालना की जावेगी।
  - भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अपिभाषण/उपयोग राष्ट्रीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
  - विद्यालय द्वारा संबद्धता हेतु प्रति वर्ष अधिकारी का नवीनीकरण प्रायोग 03 वर्ष उपरान्त करायापा जाना अनिवार्य होगा।
  - विद्यालय द्वारा मान्यता/क्रमीकृति प्राप्त कक्षा वाला तक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

नेट ग्रॉल विकास अवधि / दोई लाई (आपि) / निवेशात्मक कार्यालय इमारत बिल्डर मर अपलोड किए गए छाता और सुधार से तिथि किंवद्दि भौतिक प्रकार की विस्तृतारूप अस्तित्व बनता है। इसमें से विकास की विधियां दो तिथि विकास / दोई लाई (आपि) निवेशात्मक विकास द्वारा होती हैं।

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

| जिला                              | JODHPUR               | शाखा                     | JODHPUR CITY(U)      |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| विद्यालय का नाम                   | A.C. ACADEMY (P30582) |                          |                      |
| एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र | 2022-23               | माध्यम                   | English              |
| विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर     | Sr. Secondary (1-12)  | एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर | Sr. Secondary (1-12) |

नोट:- उक्त अनापति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/संकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबंद्धता की एनओसी प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा विना मान्यता कक्षा स्तर/संकाय/माध्यम/विषय के संबंध में संबंद्धता प्रदान नहीं की जाये तथा संबंद्धता हेतु मान्यता कक्षा स्तर/संकाय/माध्यम/विषय के लिये विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

*Mamta*  
PRINCIPAL  
 A.C. Academy  
 K.N. Nagar, Jodhpur

निचे लिखकर अपनी छाती की ओर लगाएँ। इसका उपयोग विद्यालय का संचालन पर अपनी शिक्षा पारंपरिक रूप से करायी जाना चाहिए। इसकी पूरी प्रक्रिया विद्यालय की संस्कृति का अनुसार है।